COURT FEE
भारत
बीस रुपये TWENTY RUPEES

अविस्थापेत

18

न्यायालयः राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण कं : /17–18/पुनरीक्षण

निगरानी-3137/2018/सागर/भू.रा.

द्वारा: अभिभाषक
उमा कुशवाह

श्री उमा कुशवाह अभि०
ने आज दि. 23-5-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 28-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 23.5.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

नानकराम पुरूषवानी पुत्र श्री कन्हैयालाल पुरूषवानी, आयु 46 साल, निवासी 5 सिविल लाईन सागर, तहसील व जिला सागर म.प्र.

.... पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

बनाम

1. अविनाश मोहन दुबे पुत्र श्री सुरेन्द्र मोहन दुबे, आयु 45 साल, निवासी रविशंकर वार्ड सागर, जिला सागर म.प्र.
2. उमेश राठौर पुत्र श्री पुरूषोत्तम राठौर, निवासी सदर बाजार सागर जिला सागर म.प्र.
3. शान्ता खयानी पत्नी श्री किशनचंद ख्यानी, निवासी सिविल लाईन सागर जिला सागर म.प्र.

.... प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राज.संहिता विरूद्ध आदेश दिनॉक 19.04.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त महोदय, सागर संभाग म.प्र. प्रकरण कमॉक 869/बी–121/2016–17/अपील व उनमान अविनाश मोहन दुबे बनाम उमेश राठौर एवं अन्य में पारित किया गया । उक्त आदेश की प्रति <u>एनेक्जर ए–1</u> है ।

श्रीमान महोदय,

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत है :–

//तथ्य//

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि :–

यह कि, अनावेदक कमॉक 1 अविनाश मोहन दुबे द्वारा दिनॉक 27.7.2013 को एक आवेदन तहसीलदार महोदय सागर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया, कि खसरा नम्बर 239/13 में से 15 गुणा 40 कुल 600 वर्गफीट भूमि, अविनाश मोहन दुबे के नाम से दर्ज है, उक्त

नानकराम

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3137/2018/सागर/भू.रा. जिला सागर नानकराम विरूद्ध अविनाश मोहन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-08-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत 2. दिनांक 08-08-2018 को आवेदक की ओर से श्रीमती उमा कुशवाह अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक अविनाश मोहन दुबे स्वयं उपस्थित । उभय पक्ष द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 3. अपर आयुक्त के द्वारा दिया गया आदेश निम्नानुसार है । "उपरोक्त विवेचना के आधार पर अविनाश मोहन दुबे द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है । अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/05/2017 एवं नायब तहसीलदार वृत 02 सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/12/2015 निरस्त किये जाते है । तहसीलदार सागर को आदेशित किया जाता है कि स्वयं स्थल निरीक्षण करके, अविनाश मोहन दुबे के विक्रय पत्र दिनांक 07/05/2002 में दर्शित सीमाओं का मिलान स्थल से करके वादग्रस्त प्लाट पर अविनाश मोहन दुबे को विधिवत कब्जा दिलावें । मेरे बोलने पर टंकित, आदेश की एक प्रति सहित अभिलेख आदेश के पालनार्थ वापिस भेजा जावे । संबधित सूचित होकर यह प्रकरण संचित अभिलेखागार हो ।" 4. अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 23.8.18	